अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और एस.एस. संधावालिया के समक्ष

चहुहारिया

-अपीलार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत

-प्रतिवादी

1966 की नियमित द्वितीय अपील संख्या न. 894

19 मार्च 1970

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) - धारा 23 और 46 - अनुपस्थिति में जुर्माना लगाने वाला ग्राम पंचायत का आदेश - क्या शून्य -पंचायत - क्या धारा 46 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना जुर्माना लगा सकती है।

1. यह निर्धारित किया गया कि एक शून्य निर्णय और एक रद्द करने योग्य निर्णय के बीच अंतर यह है कि एक शून्य निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक शून्यता है और गैर-स्थायी है जबकि एक रद्द करने योग्य निर्णय एक अच्छा निर्णय है जब तक कि यह रद्द नही किया जाता है और उस उद्देश्य के लिए की गई कार्यवाही में अलग नहीं किया जाता है।किसी आरोपी पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना न केवल अवैध है बल्कि शून्य है। जहां एक ग्राम पंचायत शामलात भूमि पर अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति की अनुपस्थिति में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 23 के तहत जुर्माना लगाती है, यह आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने जैसा है और कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में जुर्माना लगाने का आदेश अमान्य है।

(पैरा 7)

माना गया कि कोई भी ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना न तो जुर्माना लगा सकती न ही वसूल कर सकती है।

श्री सरूप चंद गोयल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल की अदालत के दिनांक 13 जून, 1966 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, श्री आर.पी. गैंद, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, करनाल, दिनांक 10 जून की लागत के साथ पुष्टि करते हुए जून, 1965, प्रतिवादी को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 23 के तहत 500 रुपये से अधिक जुर्माने की वसूली से रोकने के लिए वादी को शाश्वत निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करना और 2 मार्च, 1961 के संकल्प के अनुसरण में जुर्माने की वसूली से संबंधित मुकदमे को खारिज कर दिया गया और साथ ही 5 जून, 1961 के संकल्प से 500 रुपये से अधिक जुर्माने से संबंधित मुकदमा भी खारिज कर दिया गया और आगे स्पष्ट करते हुए कि किसी अन्य शीर्ष के तहत वसूली वर्तमान मुकदमे का विषय नहीं थी और वे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई थीं।

एम. एस. जैन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

जी. सी. मित्तल, अधिवक्ता,प्रतिवादी की ओर से।

संदर्भित आदेश

हरबंस सिंह, जे.-यह दूसरी अपील अजीब परिस्थितियों में दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुई है। इस दूसरी अपील में विवाद के बिंदु के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्य, अन्य अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, निम्नानुसार बताए जा सकते हैं:

2. गाँव में एक शामलात भूमि थी जिस पर अपीलकर्ता चुहरिया या उसके पिता ने कुछ संरचना का निर्माण किया था। उनके गांव जोगना खेड़ा की ग्राम पंचायत ने वर्ष 1961 में उनके खिलाफ पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के तहत यह आरोप लगाते हुए कार्यवाही की कि उन्होंने शामलात भूमि पर अतिक्रमण किया है और बाधा उत्पन्न की है जो पंचायत में निहित है। चुहरिया को एक नोटिस दिया गया था, जिसे अपीलकर्ता के अनुसार उस पर तामील नहीं किया गया था, लेकिन पंचायत के अनुसार उसने इसे अस्वीकार कर दिया था। किसी भी मामले में, निर्धारित तिथि, यानी 2 मार्च, 1961 को, अपीलकर्ता पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं था, जिसने उस तिथि के अपने प्रस्ताव द्वारा उस पर 20 रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे अवरोध हटाने का निर्देश दिया था। इस प्रस्ताव का अनुपालन नहीं होने पर पंचायत ने अधिनियम की धारा 23 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की। इसकी सूचना चुहरिया को भी भेजी गई थी, लेकिन वह फिर से निर्धारित तिथि, 5 जून, 1961 को अनुपस्थित रहे, और उस तिथि के एक प्रस्ताव द्वारा, एक रुपये का आवर्ती जुर्माना लगाया गया जब तक वह बाधा दूर नहीं कर लेता तब तक उस पर प्रति दिन 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, यह आदेश अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में फिर से पारित किया गया था। 5 फरवरी, 1963, को एक और प्रस्ताव पारित किया गया जिसके द्वारा ग्राम पंचायत ने दैनिक जुर्माने की राशि वसूल करने की मांग की, जो उस तिथि तक रु 610. हो गया था।इस प्रस्ताव की सूचना अपीलार्थी को भी दी गयी। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, थानेसर के समक्ष अधिनियम की धारा 51 के तहत एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसमें जुर्माने की वसूली का निर्देश देने वाले प्रस्ताव को चुनौती दी गई। यह संशोधन कुछ तकनीकी आपत्तियों पर ख़ारिज कर दिया गया जिनका उल्लेख यहाँ करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद उन्होंने दूसरा पुनरीक्षण दायर किया जिसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने 22 जून, 1963 को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब तक दैनिक जुर्माना लगाने वाले ग्राम पंचायत के पिछले आदेश को रद्द नहीं किया जाता, तब तक जुर्माने की राशि की वसूली के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 (आपराधिक विविध संख्या 760/1963) के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें ऊपर वर्णित तथ्यों को पर्याप्त रूप से बताने के बाद,पैरा 10 में अपीलकर्ता ने दावा किया कि ग्राम पंचायत के पास दैनिक जुर्माना लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और फिर कई उप-पैराग्राफों में विभिन्न कारणों का विवरण दिया गया। पैराग्राफ 11 में, यह फिर से दोहराया गया कि 5 जून, 1961 का प्रस्ताव अवैध और अधिकारातीत था और याचिकाकर्ता को बिना सूचना दिए पारित किया गया था और परिणामस्वरूप मूल प्रस्ताव की वैधता लगाए गए जुर्माने के साकार होने के समय भी चुनौती दी जा सकती थी। प्रार्थना खंड में, दो राहतों का दावा किया गया था, पहला, कि प्रतिवादी का 5 फरवरी, 1963 का संकल्प जो जुर्माना वसूलने की मांग कर रहा था, रद्द कर दिया जाए और दूसरा, 5 जून, 1961 का संकल्प भी दैनिक जुर्माना लगाने की सीमा तक रद्द कर दिया जाए।.

3. इस याचिका को श्री न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर ने 14 अक्टूबर 1963 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि (1) यह आपत्ति, कि ग्राम पंचायत को यह निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि जुर्माना भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना चाहिए, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं उठाई गयी थी, न ही संकल्प से यह स्पष्ट था कि राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना था, और (2) जहां तक "आदेश के खिलाफ" अन्य आपत्तियां उठाई गई थीं ग्राम पंचायत का संबंध है कि इन्हें उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष भी विशेष रूप से नहीं ले जाया गया। तब विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश में कहा कि जब तक बाधा की निरंतरता के मामले में दैनिक जुर्माना लगाने का ग्राम पंचायत का आदेश एक तरफ़ नहीं किया जाता, राशि की वसूली का आदेश देने वाले संकल्प को चुनौती नही दी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के इस आदेश में क्षेत्राधिकार के आधार का अभाव है और इस मामले को देखते हुए, इस याचिका में कोई ताकत नहीं है जो विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाए।

इसके बाद अपीलकर्ता ने 2 मार्च, 1961 और 5 जून, 1961 के दो प्रस्तावों की वैधता को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है। चुनौती के आधार इस प्रकार थे: -
(ए) कि वादी के पास कोई घर नहीं है और प्रश्न में घर उसके पिता के स्वामित्व में है;
(बी) कि वादी को कभी कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया और सभी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी;
(सी) कि 5 जून, 1961 के प्रस्ताव के पारित होने के समय, यह स्थान वादी के पिता का औपचारिक बाड़ा था और पंचायत में निहित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका।

मुकदमे का विरोध किया गया और निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया गया: -
(1) क्या इस न्यायालय को इस मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? (2) क्या मुकदमा समय के भीतर है?
(3) क्या मुकदमा धारा 108, ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत वर्जित है?
(4) क्या उच्च न्यायालय के 14 अक्टूबर, 1963 के वर्तमान मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में आदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वाद पोषणीय है?
(5) क्या विवादित स्थल प्रस्तुत वादी के पिता का है और पंचायत में निहित नहीं है?
(6) क्या वादी के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही, वादी के पैरा III में उल्लिखित आधारों पर अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध थी?

वादी ने केवल अपना और ग्राम पंचायत की ओर से बयान दिया। विभिन्न संकल्प एवं यह दर्शाने वाले नोटिस कि सेवा प्रभावी हो गई है प्रस्तुत किए गए।निम्न न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे:

(1) अपीलकर्ता की यह आपत्ति कि उसे उस तारीख के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला जिस दिन ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित प्रस्ताव पारित किए गए थे, सही नहीं है;
(2) वादी ने अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि यह स्थल शामिलात नहीं था और उसके पिता का था और केवल इस तथ्य से कि चकबंदी अधिकारियों ने फिरनी के चारों ओर सीमांकन कर दिया था, इससे भूमि की प्रकृति नहीं बदलेगी और यह कि यह स्थल पंचायत में निहित था।
उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। वह अपील में आया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि भले ही यह मान लिया जाए कि नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए थे और अपीलकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे, अधिनियम की धारा 21 या 23 के तहत कोई

कार्रवाई नहीं की जा सकती है और अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। धर्मन बनाम गांव कुरार की ग्राम पंचायत (1) [1]पर भरोसा रखा गया था, जिसमें श्री न्यायमूर्ति महाजन ने कहा था कि धारा 46 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना धारा 23 के तहत जुर्माना लगाना अवैध है और इसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है।धारा 46 अभियुक्त के उपस्थित न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसके अनुसार, यदि आरोपी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो पंचायत को निकटतम मजिस्ट्रेट को इस तथ्य की सूचना देनी होती है,मजिस्ट्रेट तब आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश देने वाला वारंट जारी करता है और जब वह ऐसा करता है तो आरोपी को पंचायत के सामने उपस्थित होने के लिए एक बांड, जमानतदारों के साथ या उसके बिना ,भरने के लिए कहा जाएगा और यदि वह ऐसे बांड को निष्पादित करने में विफल रहता है तो उसे हिरासत में पंचायत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है। कुछ निर्णयित मामलों पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया।

5. इससे पहले कि इस मामले पर विचार किया जा सके, प्रतिवादी की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में पिछले निर्णय के कारण इन मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत दैनिक जुर्माना लगाने वाले 5 जून, 1961 के आदेश की सत्यता को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में विशेष रूप से चुनौती दी गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह आधार बनाया गया था कि आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया।प्रश्न उठता है कि यदि एक बार अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किसी विशेष आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में आता है और वह आवेदन खारिज हो जाता है, तो क्या बाद में उसी आदेश को मुकदमा दायर करके चुनौती दी जा सकती है? प्रतिवादी के विद्वान वकील की ओर से तर्क यह है कि इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में दिया गया निर्णय उठाए गए सभी बिंदुओं से संबंधित है या नहीं, निर्णय न्यायिक होगा और आगे कोई मुकदमा उसी आदेश को चुनौती देते हुए दायर नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में **भारतीय संघ बनाम नानक सिंह (2)** [2]मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। उस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में सेवा समाप्ति के आदेश की सत्यता को चुनौती देने के लिए दो बिंदु उठाए गए थे।हाई कोर्ट ने पहले आधार पर विचार किया और याचिका खारिज कर दी।दूसरा यह कि जिस अधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया था वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद कर्मचारी ने एक सिविल मुकदमा दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि उसके रोजगार को समाप्त करने का आदेश उस आदेश को पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारी द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य में यह माना गया कि एक बार याचिका खारिज हो जाने के बाद, याचिका की बर्खास्तगी उन दोनों आधारों की अस्वीकृति के रूप में संचालित होती है जिन पर इसे स्थापित किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय ने दूसरे आधार पर विचार नहीं किया था। इसलिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील का तर्क,कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में निर्णय न्यायिक के रूप में काम नहीं करेगा क्योंकि विद्वान न्यायाधीश द्वारा याचिका में 5 जून 1961 के आदेश को अवैध घोषित करने के आग्रह पर विचार नहीं किया गया मैदान में नहीं गए थे, में कोई दम नहीं है। मुझे लगता है कि उठाया गया मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और यह उचित होगा यदि इस पर पहली बार में बड़ी बेंच द्वारा निर्णय लिया जाए। इसलिए, मैं निर्देश दूंगा कि इस मामले के रिकॉर्ड, आवश्यक आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

---

[1] (1) 1968) Cur. L.J 938

(2) 1968 Cur. L.J 864

प्रलय

6. डी.के. महाजन, जे.-इस दूसरी अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से हरबंस सिंह जे० के संदर्भित आदेश में निर्धारित किए गए हैं जिसे इस आदेश के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

7. हमारे सामने एकमात्र मुद्दा यह उठाया गया है कि क्या ग्राम पंचायत के 2 मार्च 1961 और 5 जून 1961 के आदेश अमान्य हैं या नहीं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि ये आदेश शून्य हैं क्योंकि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 46 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और अनुपस्थिति में जुर्माना व आवर्ती जुर्माना लगाया गया था। जहां तक सवाल है कि क्या धारा 46 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जुर्माना लगाया या वसूला जा सकता है, इस न्यायालय के तीन निर्णय हैं, अर्थात् धर्मन बनाम ग्राम कुरार की ग्राम पंचायत (1), भगवान सिंह बनाम ग्राम पंचायत, गांव बलोना (3) [3]एस.बी. कपूर जे०, माननीय मुख्य न्यायधीश द्वारा मुला सिंह बनाम ग्राम पंचायत, सागा (4) में। इससे सीधे तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या कोई आपराधिक अदालत किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहरा सकती है और क्या ऐसा निर्णय क्षेत्राधिकार में निर्णय होगा? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि यदि निर्णय क्षेत्राधिकार के बिना है तो वह अमान्य है। यह केवल अधिकार क्षेत्र वाला निर्णय जो अन्यथा ग़लत है, जिसे रद्द करने योग्य कहा जा सकता है। एक शून्य निर्णय और एक शून्यकरणीय निर्णय के बीच अंतर यह है कि एक शून्य निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, यह शून्यता है और गैर-स्थायी है, जबकि एक शून्यकरणीय निर्णय तब तक बना रहता है और निष्फल नहीं किया जाता है जब तक उस उद्देश्य के लिए कार्यवाही में उसे रद्द नहीं किया जाए।यदि इस अंतर को ध्यान में रखा जाता है तो उन मामलों पर निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है जहां अधिकार क्षेत्र की कमी और न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के साथ लेकिन अवैध रूप से मामले का निर्णय करने के जटिल प्रश्न उठते हैं। वर्तमान मामले में, जुर्माना और साथ ही आवर्ती जुर्माना भी अनुपस्थिति में लगाया गया था। हमारे सामने ऐसे किसी निर्णय का हवाला नहीं दिया गया है जिसमें यह विचार किया गया हो कि किसी आरोपी की अनुपस्थिति में कोई भी मुकदमा क्षेत्राधिकार के साथ मुकदमा चलाया जाना माना जाएगा, न कि केवल एक अवैध मुकदमा। इसलिए, हमें इस सरल आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि किसी आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा, मुकदमा या शून्य मुकदमा नहीं है। इस आधार को निर्धारित करने के बाद, पुनर्न्यायिकता का प्रश्न तय करने के लिए कि हरबंस सिंह जे. ने मामले को जो एक बड़ी बेंच के पास भेजा है, कोई कठिनाई पेश नहीं करता है।

8. पहले उदाहरण में, मैं उल्लेख कर सकता हूं कि न्यायमूर्ति श्री शमशेर बहादुर ने वर्तमान मुकदमे में जो विवाद उठाए गए हैं उनका निहित या स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं किया।एकमात्र मार्ग जिस पर इस प्रस्ताव के लिए भरोसा किया गया है कि उनका निर्णय जहां तक वर्तमान मुकदमे का संबंध है, न्यायिक रूप से कार्य करेगा, हरबंस सिंह जे के संदर्भित आदेश में पुन: प्रस्तुत किया गया है, और यदि उस मार्ग को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के फैसले के साथ पढ़ा जाता है, जिसके खिलाफ शमशेर बहादुर जे के समक्ष रिट-याचिका दायर की गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा निहितार्थ या स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया गया था जिसके बारे में ऐसा कहा जाए कि शमशेर बहादुर जे० द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट का आदेश संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे दिया गया है: -

"मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आवेदक पर ग्राम पंचायत जोगना खेड़ा द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 23 के तहत जुर्माना और दैनिक जुर्माना लगाया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने बाधा नहीं हटाई, इसलिए दैनिक जुर्माना जमा होता चला गया और अंततः राशि 610 रुपये हुई। पंचायत ने अपने संकल्प संख्या 6, दिनांक

---

(3) C.R. 365 of 1966 का निर्णय 9th Dec., 1966 को लिया गया

. (4) C.R. 375 of 1966 का निर्णय 23rd March, 1967 को लिया गया

3 फरवरी, 1963 के माध्यम से इसकी वसूली का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की गई है।

याचिका की सूचना ग्राम पंचायत को दी गई, जिसने याचिका का विरोध किया। मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ ग्राम पंचायत के विद्वान वकील को भी सुना है। ग्राम पंचायत के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि जब तक ग्राम पंचवत के मूल आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, जिसके तहत बाधा की निरंतरता के मामले में दैनिक जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है, तब तक राशि वसूल करने के संकल्प को किसी भी वैध आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।मैं भी इस तर्क से सहमत हूं।इसलिए, पुनरीक्षण याचिका आगे नहीं बढ़ सकती और इसे खारिज किया जाता है।"

9. यह भारत के संयुक्त राष्ट्र बनाम नानक सिंह (2) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया था कि किन परिस्थितियों में रिट कार्यवाही में किसी निर्णय को पूर्वन्याय या प्रांन्याय कहा जा सकता है। इस संबंध में पृष्ठ 867 पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 और 6 का संदर्भ दिया जा सकता है, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"5. इस न्यायालय ने **गुलाबचंद छोटा लाल पारिख बनाम गुजरात राज्य (5)**[4] में देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान, बाद के विवाद में एक ही मामले पर पार्टियों के बीच पहले के निर्णय जो पुनर्न्याय के रूप में काम करेगा और पुनर्न्याय के सामान्य सिद्धांत के संबंध में विवादग्रस्त किसी मामले पर पहले लिया गया निर्णय, पूरी प्रतियोगिता के बाद या, इसे तय करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षों को अपना मामला साबित करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, बाद के नियमित मुकदमे में पुनर्न्याय के रूप में कार्य करने के सम्बंध में, सम्पूर्ण नहीं है।।यह आवश्यक नहीं है कि पहले मामले का निर्णय करने वाला न्यायालय बाद के मुकदमे का निर्णय करने में सक्षम हो या पिछली कार्यवाही व बाद के मुकदमे की विषय-वस्तु एक ही हो। संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत रिट कार्यवाही में विवादित मामलों पर ऐसे निर्णयों को समान पक्षों के बीच विवाद में समान मामलों पर बाद के नियमित मुकदमों में पुनर्न्याय के रूप में कार्य करने से रोकने का और इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के बाद निर्णयों की अंतिमता के सिद्धांत को सीमित प्रभाव देने का कोई अच्छा कारण नहीं है। गुलाबचंद के मामले में (5) न्यायालय ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या किसी पक्ष द्वारा रचनात्मक पुनर्न्याय के सिद्धांत को इस आधार पर बाद के मुकदमे में लागू किया जा सकता है कि एक मामला जो पिछली कार्यवाही में उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं उठाया गया था, निर्णय हो गया माना जाएगा।

6. यदि रिट याचिका में आदेश की अपील में उच्च न्यायालय का आदेश रचनात्मक रूप से पुनर्न्याय के रूप में संचालित होता है, तो उस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो सकता है जिसे गुलाबचंद के मामले (5) में न्यायालय द्वारा खुला छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे विचार में पिछले मामले में निर्णय पूर्व-न्याय के रूप में व्यक्त निर्णय द्वारा संचालित होता है। यह सच है कि पार्टियों के बीच पिछला निर्णय पुन: न्याय के रूप में कार्य कर सके, इसके लिए प्रश्न को सुना जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए या पार्टियों को उस पर अपने तर्क उठाने का अवसर मिलना चाहिए। वर्तमान मामले में, गुरदेव सिंह जे. ने इस प्रश्न को कुछ विस्तार से निपटाया और माना कि श्री केन के पास नानक सिनेन के रोजगार को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अपील में उच्च न्यायालय ने सोचा कि अपील का निपटारा केवल पहले आधार पर किया जा सकता है और उन्होंने दूसरे आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। लेकिन एक बार जब अपील की अनुमति दी गई और याचिका खारिज कर दी गई, याचिका की बर्खास्तगी उन दोनों आधारों की अस्वीकृति के रूप में संचालित हुई जिन पर यह

---

(5) A.I.R 1965 S.C 1153

स्थापित की गई थी। प्रिवी काउंसिल का फैसला अब्दुल्ला अशगर अली खान बनाम गणेश दास (6) [5]जिस पर नानक सिंह के वकील ने भरोसा जताया था, हमारे फैसले में कोई प्रयोग नहीं है। उस मामले में न्यायिक आयुक्त की अदालत ने एक मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसका संविधान दोषपूर्ण था और पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी। न्यायिक आयुक्त के फैसले को पिछले मुकदमे के पक्षों के बीच, बाद के मुकदमे में पुनर्न्याय के रूप में काम नहीं करने के लिए माना गया क्योंकि विवाद का फैसला पिछले मुकदमे में स्पष्ट रूप से या यहां तक कि निहितार्थ के आधार पर नहीं किया गया था। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर निर्णय देना अनावश्यक है कि क्या श्री केन के पास नानक सिंह के रोजगार का निर्धारण करने का अधिकार था।"

वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरोक्त अनुपात की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि शमशेर बहादुर जे. का निर्णय, पुनर्निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता है। यदि ऐसा है, तो धरमन के मामले (1) में निर्णय और उस लाइन पर लिए गए निर्णयों के आधार पर, यह माना जाना चाहिए कि पंचायत के दिनांक 2 मार्च, 1961 और 5 जून, 1961 के आदेश शून्य आदेश हैं।

10. फ़ैसला देने से पहले, हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा अन्य मामलों पर दिए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष अंतिम हैं और हमारे द्वारा कही गई किसी भी बात का उन निष्कर्षों पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं माना जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सलाह दी जाए तो पंचायत, अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 46 के अनुसार अधिनियम की धारा 21 और 23 के तहत कार्यवाही का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
11. ऊपर दर्ज कारणों से, हम इस अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार करते हैं, यानी अपीलकर्ता से दो आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने की कोई वसूली नहीं की जा सकती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

एस.एस. संधावालिया, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा

---

(6) A.I.R 917 P.C 201